राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक242

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 8 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

छोटे मैदान पर वापसी टीम इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती

>> 14

सरोकार

एक-दूसरे की राह आसान बनाना ही इनका 'टारगेट'

मुरादाबाद : नौकरी की तलाश की, कोटे से भी नहीं मिल सकी तो खुद ही नौकरी देने की ठानी और खोल दी फैक्ट्री। दोनों पैरों से दिव्यांग सलमान आज 30 दिव्यांगों को रोजगार दे रहे हैं। इस साल 100 का टारगेट है। (पेज-6)

जागरण विशेष

अब शैवाल एयर प्यूरीफायर रखेगा घर की हवा साफ

सोलन : इस यंत्र का एक सिरा कमरे के वातावरण में मौजूद दूषित कणों को सोख कर दूसरी तरफ से ताजा हवा को कमरे में छोड़ेगा। जैसे-जैसे यंत्र दूषित हवा को ग्रहण करेगा, इसके अंदर मौजूद शैवाल का आकार बढ़ता जाएगा। (पेज-7)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

आर्थिक पिछड़ों को नौकरियों में अब उम्र की भी मिलेगी छूट

नई दिल्ली : सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण के बाद अब सरकारी नौकरियों में उम्र की भी छूट मिल सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कार्मिक मंत्रालय को इस बारे में पत्र लिखा है। यह छूट कितनी होगी, यह निर्णय होना है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

उत्तर प्रदेश में बना रक्षा क्षेत्र में निवेश का रिकॉर्ड

लखनऊ : लखनऊ में चल रहा 11वां डिफेंस इंडिया एक्सपो-2020 भारत में रक्षा क्षेत्र में निवेश का बड़ा 'गेट-वे' बना है। इस आयोजन में कुल 200 निवेश समझौते हुए हैं। डिफेंस एक्सपो में पहली बार इतने समझौते हुए हैं।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

जीएसटी मुआवजा फंड में 25 हजार करोड़ कमी के आसार

मुंबई : रेटिंग एजेंसी इकरा का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर, 2019 से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान राज्यों को जीएसटी मुआवजे का करीब 60,000 से 70,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

पाकिस्तान में होता है हिंदुओं का उत्पीड़न : अमेरिका

वाशिंगटन : अमेरिका ने माना है कि पाक में हिंदुओं का उत्पीड़न होता है। बहुसंख्यक वर्ग के हिंसक अतिवादी उन्हें निशाना बनाते हैं। विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने यह बात 27 देशों के धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन बनाने का एलान करते हुए कही है।

अब वनडे की बारी
दूसरा वनडे
भारत 28 न्यूजीलैंड
सुबह 7:30 बजे से
स्थान : ऑकलैंड
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

दिल्ली के मतदाता आज चुनेंगे अपनी सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए शनिवार को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यह चुनाव तय करेगा कि दिल्ली के लोग आप सरकार को तीसरी बार मौका देंगे या भाजपा का 22 वर्षों का वनवास खत्म होगा या लगातार 15 साल सत्ता में रह चुकी कांग्रेस की वापसी होगी। मतगणना 11 फरवरी को होगी। मतदान केंद्रों पर ईवीएम शुक्रवार शाम को पहुंचा दी गई हैं। पोलिंग टीम भी पहुंच चुकी है। दिल्ली में पहली बार मतदान केंद्रों पर एक दिन पूर्व ही कर्मचारियों व ईवीएम को पहुंचाया गया है। (संबंधित खबरें पेज-2 पर)

70 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग

2688 मतदान केंद्रों के 13750 बूथों पर डाले जाएंगे वोट

672 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं इस बार

प्रतीकात्मक फोटो

कुल मतदाता	पुरुष मतदाता	महिला मतदाता
1,47,86,389	81,05,236	66,80,277

पहली बार क्यूआर कोड युक्त फोटो पहचान पर्ची

सुल्तानपुर माजरा, सीलमपुर, छतरपुर, बल्लीमारान, बिजवासन, त्रिलोकपुरी, राजौरी गार्डन, शकूरबस्ती व नई दिल्ली, रोहतास नगर, जंगपुरा सीट पर क्यूआर कोड युक्त फोटो पहचान पर्ची की बूथ एप से स्कैन की होगी सुविधा। दिल्ली कैंट के आठ केंद्रों पर भी इसका इस्तेमाल होगा।

सबसे ज्यादा प्रत्याशी	
28	नई दिल्ली विस क्षेत्र
22	बुराड़ी सीट पर
18	करावल नगर
2 ईवीएम मशीनें इस्तेमाल होंगी यहां	
सबसे कम प्रत्याशी	
4	पटेल नगर विस क्षेत्र

आक्रामक रहा प्रचार : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अकेले दम आप की ओर से चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। वहीं, भाजपा के चुनाव प्रचार की बागडोर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्रियों, 300 सांसदों व दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों व राज्यों के कई मंत्रियों का भी साथ मिला। पीएम मोदी की भी तीन रैलियां हुईं। कांग्रेस की ओर से प्रचार की शुरुआत में कोई राष्ट्रीय नेता नहीं उतरा, लेकिन अंतिम दिनों में राहुल गांधी ने चार और प्रियंका वाड्रा ने दो रैलियां कीं।

मैदान में मुख्यमंत्री समेत कई सूरमा

इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ ही उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र पाल गौतम, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और उपाध्यक्ष राखी बिड़ला मैदान में हैं। भाजपा की ओर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, महामंत्री रविंद्र गुप्ता, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में उपमहापौर संजय गोयल, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से दिल्ली के पूर्व मंत्री डॉ. एके वालिया, डॉ. नरेंद्र नाथ, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ, पूर्व सांसद परवेज हाशमी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की बेटी शिवानी चोपड़ा और प्रचार समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम मैदान में हैं।

बंद रहेगा चिड़ियाघर

मतदान को देखते हुए शनिवार को दिल्ली का चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। हालांकि पुराना किला सामान्य रूप से खुला रहेगा।

दफ्तरों में अवकाश घोषित

दिल्ली में सभी सरकारी व निजी क्षेत्र के कार्यालयों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अवकाश घोषित की गई है। ताकि मतदान में कोई अड़चन न हो।

मेट्रो सुबह चार बजे से चलेगी

चुनावी ड्यूटी में तैनात अधिकारियों की सुविधा के लिए सुबह चार बजे मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। सुबह छह बजे तक आधे घंटे के अंतराल पर मेट्रो उपलब्ध होगी। 39 रूटों पर डीटीसी बसें भी सुबह चार बजे से चलाई जाएंगी।

'डंडे' पर लोस में हाथापाई की नौबत

असंसदीय आचरण ▶ राहुल गांधी के बयान पर बात खींचतान और अपशब्दों तक पहुंची

भाजपा और कांग्रेस सदस्यों ने एक-दूजे से माफी मांगने की मांग की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक माहौल कितना कड़वा है, इसकी झलक संसद में दिखती रही है लेकिन शुक्रवार को शर्मसार करने वाली स्थिति पैदा हो गई। प्रश्नकाल के दौरान जब स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए निंदा की तो तमिलनाडु के कांग्रेस सदस्य मनिकम टैगोर आक्रामक तरीके से दौड़कर उनके पास पहुंच गए और कागज छीनने की कोशिश की। बचाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा सदस्य बृजभूषण शरण सिंह ने उनका हाथ पकड़कर खींचा और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत दोनों पक्ष के सदस्यों के बीच बचाव से हाथापाई की नौबत तो टल गई पर पूरे दिन सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई।

शुक्रवार को कई दौर में लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में बैठकें भी हुईं। भाजपा की ओर से मनिकम के आचरण पर आपत्ति जताई गई है। तो राहुल की ओर से प्रश्न का जवाब नहीं दिए जाने के मामले में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। कांग्रेस की ओर से हर्षवर्धन की माफी की भी मांग की गई। हालांकि अंत में कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने इस पूरे प्रकरण पर सफाई देते हुए मीडिया से कहा कि राहुल गांधी अपनी किसी भी बात से प्रधानमंत्री मोदी को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे।

तीन दिन पहले दिल्ली की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने युवाओं को रोजगार न मिलने का आरोप लगाते हुए कहा था, 'छह महीने के बाद मोदी घर से बाहर निकलेंगे तो युवा उन्हें डंडे से मारेंगे।' गुरुवार को खुद पीएम ने संसद में इसका जिक्र करते हुए तंज के रूप में पलटवार किया था। लोकसभा में शुक्रवार को नाटकीय ढंग से यह मुद्दा फिर से उठ गया।

दरअसल लोकसभा में एक प्रश्न राहुल गांधी का था जो स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा था। जब उनका नंबर आया और उन्होंने प्रश्न संख्या का जिक्र किया तो दूसरी पंक्ति में बैठे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, वह जवाब देने से पहले राहुल के बयान की भर्त्सना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'राहुल के पिता राजीव गांधी भी देश के पीएम थे लेकिन भाजपा के किसी भी नेता ने कभी इस तरह धमकाने और देश से बाहर करने की बात नहीं की थी। पूरे सदन को इसकी आलोचना करनी चाहिए।' इस बीच उग्र विपक्ष से शोरशराबा होता रहा और कांग्रेस सदस्य मनिकम टैगोर दौड़कर हर्षवर्धन तक पहुंच गए। वह पेज छीनना चाहते थे लेकिन बृज भूषण सिंह ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया। मनिकम के समर्थन में कांग्रेस के दूसरे सदस्य हिबी इडन भी पहुंचे। अपशब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से कई सदस्य व मंत्री दौड़े और किसी तरह स्थिति टली। लोकसभा अध्यक्ष ने तत्काल कार्यवाही स्थगित कर दी, लेकिन इसका असर पूरे दिन रहा। तीन बार कार्यवाही स्थगित हुई और कोई कामकाज नहीं हो पाया।

इस बीच, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन में बयान देकर कांग्रेस सदस्यों के व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा, कांग्रेस राहुल गांधी के इशारे पर 'डंडे का तौर तरीका' अपना रही है। यह नहीं चलेगा। कांग्रेस सदस्य को सदन से माफी मांगनी चाहिए और सदन को कार्रवाई करनी चाहिए। बाद में ट्विटर पर हर्षवर्धन ने कहा कि राहुल को प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस

राहुल गांधी जी के इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं पीएम के खिलाफ उनकी ओर से इस्तेमाल खराब भाषा की निंदा करना चाहता हूं।
-हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

भाजपा नहीं चाहती मैं सदन में बोलूं। स्वास्थ्य मंत्री ने असंसदीय तरीके से वह बात उठाई जो मैंने पहले बाहर कही थी। इसका प्रश्नकाल से लेना-देना नहीं था।
-राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष

राहुल गांधी के पीएम पर दिए बयान पर लोकसभा में शुक्रवार को हुए हंगामे का दृश्य। एएनआइ

अनिल अंबानी को 700 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश

- लंदन की अदालत में अनिल को आर्थिक रूप से कमजोर साबित करने की कोशिश
- जज ने कहा - अंबानी ने अपनी संपत्ति की जानकारी देने में पारदर्शिता नहीं बरती है

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन की एक अदालत ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को छह हफ्तों के भीतर 10 करोड़ डॉलर (करीब 700 करोड़ रुपये) अदा करने का आदेश दिया है। चीन के तीन बैंक एक लोन करार के तहत अंबानी से 68 करोड़ डॉलर (करीब 4,760 करोड़ रुपये) की मांग कर रहे हैं। इसी मामले में एक सशर्त आदेश में कोर्ट ने अनिल के वकील का यह तर्क खारिज कर दिया कि अब अंबानी की नेटवर्थ कुछ नहीं बची है। अगर उन्हें झटका लगा तो परिवार उन्हें बचाने नहीं आएगा।

जज डेविड वाक्समैन ने अंबानी के वकील से दो-टूक कहा कि कंगाल हो जाने और कर्ज नहीं चुका पाने के उनके तर्क से वह सहमत नहीं हैं। अंबानी ने संपत्ति के बारे में जानकारी देने में पारदर्शिता नहीं बरती है। इस बारे में अंबानी के प्रवक्ता ने कहा, अदालत के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। अपील के बारे में विचार किया जाएगा। साथ ही कहा, इससे रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मामले की सुनवाई के दौरान अंबानी के वकील ने अदालत से कहा कि अंबानी कभी अमीर थे, लेकिन अब नहीं हैं। चीन के तीन बैंकों द्वारा 68 करोड़ डॉलर के दावे पर सुनवाई के दौरान वकील ने अदालत को बताया कि भारत के टेलीकॉम मार्केट में उथल-पुथल के चलते अनिल अंबानी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है।

अनिल अंबानी फाइल फोटो

फरवरी, 2012 के 92.50 करोड़ डॉलर लोन पर गारंटी को लेकर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड ने खुद, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्जिम बैंक ऑफ चाइना की ओर से अनिल पर मुकदमा किया है। हालांकि अंबानी ने ऐसी किसी गारंटी को वैधता देने से इन्कार किया है। गत वर्ष लंदन के हाई कोर्ट के कॉमर्शियल डिवीजन ने अनिल के खिलाफ सशर्त फैसला सुनाया था।

अंबानी के वकील राबर्ट हॉव ने अदालत से कहा, वर्ष 2012 में उनका निवेश 700 करोड़ डॉलर था, जो अब 8.9 करोड़ डॉलर रह गया है। अब अंबानी की नेटवर्थ शून्य है। हालांकि विपक्ष के वकील ने अंबानी को अमीर साबित करने के लिए उनकी संपत्तियां गिनाईं।

मेरे पास माताओं-बहनों का सुरक्षा कवच : मोदी

- बोडो समझौते के जश्न में शामिल पीएम का राहुल के 'डंडा' बयान पर फिर करारा प्रहार
- बोले-जिनके बेटे कभी बंदूक लेकर घूमते थे, आज वो माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही हैं

कोकराझार, एजेंसियां : केंद्र व असम सरकार और बोडो आंदोलन से जुड़े संगठनों के बीच शांति समझौते के जश्न में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के डंडा वाले बयान पर फिर प्रहार किया। साथ ही मोदी ने कश्मीरी आतंकियों, पूर्वोत्तर के प्रतिबंधित संगठनों व नक्सलियों से हथियार डालकर राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने व जीवन का जश्न मनाने की अपील की।

पृथक बोडोलैंड के लिए कभी सशस्त्र आंदोलन के गढ़ रहे असम के कोकराझार में शुक्रवार को विशाल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कभी-कभी लोग मोदी को डंडा मारने की बाते कहते हैं, लेकिन जिस मोदी को देशभर की माताओं-बहनों के आर्शीवाद का सुरक्षा कवच मिला हो उस पर कितने भी डंडे पड़ जाएं उसको कुछ नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि बोडो आंदोलन को खत्म करने के लिए 27 जनवरी को हुए त्रिपक्षीय समझौता हुआ था और उसकी का जश्न मनाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया था।

स्थायी शांति आएगी : पहले की गैर भाजपा सरकारों पर जटिल मुद्दों को सुलझाने में हीलाहवाली का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे लोग दूर होते गए और लोकतंत्र व संविधान से उनका भरोसा उठ गया। उन्होंने कहा, 'बोडो समझौते से असम में अमन चैन और विकास की नई सुबह की शुरुआत हुई है। लोगों के सहयोग से यहां स्थायी शांति स्थापित होगी।' उन्होंने उम्मीद जताई कि 1993 और 2003 में उग्रवादियों के साथ हुए पहले के समझौतों से उलट केंद्र, असम सरकार और बोडो संगठनों के बीच हुए समझौते से क्षेत्र में स्थायी शांति आएगी। उन्होंने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अब कोई भी मांग नहीं बची है।

कोकराझार में शुक्रवार को केंद्र व असम सरकार और बोडो आंदोलन से जुड़े संगठनों के बीच शांति समझौते की खुशी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते पीएम नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

अब विकास ही प्राथमिकता पेज>>3

फांसी में देरी से टूट रहा लोगों का धैर्य : केंद्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड (निर्भया कांड) के दोषियों को फांसी दिए जाने के बारे में दाखिल केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में दोषियों को कानूनी विकल्प अपनाने के लिए दिए गए एक हफ्ते के समय को देखते हुए केंद्र की याचिका पर 11 फरवरी को दोपहर में सुनवाई का फैसला किया है। सरकार के बार-बार आग्रह पर भी कोर्ट ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दोषियों को नोटिस जारी नहीं किया। कोर्ट ने कहा, इससे मामले में देरी होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषियों के कानूनी विकल्प समाप्त होने पर उन्हें अलग-अलग फांसी देने की इजाजत मांगने वाली केंद्र की अर्जी खारिज कर दी थी। केंद्र ने याचिका में निचली अदालत के दोषियों का डेथ वारंट रद करने के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज करते हुए दोषियों को आदेश दिया था कि वे हफ्ते भीतर अपने कानूनी विकल्प अपना सकते हैं। यह अवधि मंगलवार को समाप्त हो रही है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को दोषियों द्वारा मौत की सजा से बचने के लिए अपनाए जा रहे देरी के पैंतरों पर कहा, राष्ट्र के धैर्य की बहुत परीक्षा हो चुकी है। अब कोर्ट को इस मामले में कानून तय करना चाहिए। दोषी मुकेश के सारे कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। दया याचिका भी खारिज हो चुकी है। दो दोषियों अक्षय व विनय की भी क्यूरेटिव और दया याचिका खारिज हो चुकी हैं। चौथे दोषी पवन ने न तो क्यूरेटिव और न ही दया याचिका दाखिल की है। क्या किसी को कानूनी विकल्प अपनाने के लिए बाध्य किया जा सकता है?

मेहता ने कहा, दोषी जानबूझकर देरी के पैंतरे अपना रहे हैं। क्या एक दोषी द्वारा की जा रही देरी से बाकी के दोषियों की सजा के मामले में अनिश्चितता कायम रखी जा सकती है? इस तरह तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि एक दोषी पांच साल तक चुप बैठा रहे और बाद में दूसरे दोषी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देरी के आधार पर मौत की सजा माफ करने की अपील करें। इन दलीलों पर पीठ ने कहा, 'यह सही है कि किसी को कानूनी विकल्प अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट ने एक हफ्ते की सीमा तय करके आपके हितों को संरक्षित किया है।'

दिल्ली दुष्कर्म कांड

- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब कोर्ट को कानून तय करना चाहिए
- केंद्र की याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई मंगलवार तक टली
- दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषियों को दे रखी है एक हफ्ते की मोहलत

हाई कोर्ट की टिप्पणी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याची को राहत देने से इन्कार करते हुए खारिज की अर्जी, विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए समादेश जारी करने से भी इन्कार

सीएए विरोधी प्रदर्शन को मंजूरी देना राष्ट्रहित में नहीं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले काफी दिनों से विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं। इन प्रदर्शनों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति की मांग राष्ट्रहित में नहीं है। ऐसे में याची को राहत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए उसे खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति भारती सप्रू व पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने फीरोजाबाद के मो. फुरकान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। याची का कहना था कि छात्रों को सीएए विरोधी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह उनके संवैधानिक अधिकार का हनन है। ऐसे में कोर्ट विरोध-प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए समादेश जारी करे। याचिका में राज्य सरकार के पोर्टल सीसीटीएनएस पर 22 जनवरी 2020 को अपलोड आदेश को रद करने की भी मांग की गई है। दरअसल, फीरोजाबाद में रसूलपुर थाना प्रभारी ने याची को नोटिस देकर कहा गया है कि जिले में धारा 144 लगी है। इससे पहले 20 दिसंबर के विरोध प्रदर्शन में हिंसा हुई है, इसलिए लोक शांति प्रभावित करने पर कार्रवाई की जाएगी।

यदि याची भारतीय नागरिक है तो हर कीमत पर उसे शांति कायम रखनी चाहिए। इस मामले में याची को राहत नहीं दी जा सकती।
-इलाहाबाद, हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइल फोटो

शाहीन बाग से प्रदर्शन हटाने की मांग पर चुनाव के बाद होगी सुनवाई

नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से प्रदर्शन हटाने और नोएडा-दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क को खुलवाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट विस चुनाव खत्म होने के बाद सोमवार को सुनवाई करेगा। भाजपा नेता नंद किशोर गर्ग और वकील अमित साहनी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने और सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करने पर रोक के बारे में दिशा निर्देश तय किए जाने की मांग की है। साथ ही शीर्ष अदालत में दाखिल याचिकाओं में शाहीन बाग प्रदर्शन के कारण नोएडा-दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क के बंद होने से लोगों को हो रही परेशानियों का विस्तार से जिक्र करते हुए सड़क खुलवाने की मांग की गई है। (पेज-5)

शाहीन बाग प्रदर्शन में शिशु की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान पेज>>5

डिप्टी सीएम के ओएसडी के बाद आइएएस अफसर शिकंजे में

नई दिल्ली : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआइ ने दिल्ली सरकार के अन्य अधिकारी उदित प्रकाश राय के घर और दफ्तर की तलाशी ली। दिल्ली सरकार के एक दर्जन अधिकारी जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। सीबीआइ के अनुसार, इस मामले में मनीष सिसोदिया की संलिप्तता का कोई सुबूत नहीं मिला है। (पेज-2)

जज की पत्नी और बेटे के हत्यारे को फांसी की सजा

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम जिले में न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी व बेटे की हत्या के दोषी गनमैन महिपाल को जिला एवं सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने साक्ष्य मिटाने के प्रयास के मामले में दोषी को पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना और आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। (पेज-6)

पूरी तरह आजमाए हैं बजट में शामिल उपाय : वित्त मंत्री

मुंबई, प्रेट्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आम बजट को बहुत सोच-समझकर और आजमाए गए उपायों द्वारा तैयार किया गया है। कारोबारी जगत के प्रतिनिधियों से बात करते हुए शुक्रवार को उन्होंने कहा, अतीत की आर्थिक सुस्ती के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बजटीय प्रावधान तैयार किए गए हैं। यह बजट इकोनॉमी को गति देने में मददगार साबित होगा। वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इकोनॉमिक सुस्ती के दौर में तत्काल सुधार के प्रावधानों को शामिल नहीं करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

सीतारमण ने कहा, समय की मांग के मद्देनजर बजट में मूलभूत व्यापक सुधारों को जगह दी गई है। खपत में वृद्धि पर नजर रखने के साथ ही लंबी अवधि के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा गया है। खर्च के प्रावधान तय करते समय पूंजीगत संपत्ति के निर्माण को केंद्र में रखा गया है। कृषि क्षेत्र के उत्थान को ध्यान में रखते हुए 16 सूत्रीय कार्यक्रम तय किया गया है। स्टार्ट-अप्स को गति देने का हर संभव प्रयास व इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के उपाय किए गए हैं। सरकार ने बजट में टैक्सपेयर्स चार्टर पेश किया है, जिसका मकसद टैक्स व्यवस्था को आसान बनाना है। कराधान व्यवस्था नागरिकों के साथ विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। इसीलिए टैक्सपेयर्स चार्टर लाया गया है।

निर्मला सीतारमण फाइल

निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट में आर्थिक सुस्ती के अनुभवों को मिली जगह

ढांचागत विकास में होगा विनिवेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल पेज>>12